न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–58/2010 (2010/00113)223/अजमेर

1. सदाकंवर बेवा गणपत (फौत) जरिये वारिसानः–
   1/1– भंवरसिंह (फौत) जरिये वारिसानः–
   1/1/1– मु0 अजरज कंवर बेवा भंवरसिंह,
   1/1/2– भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह,
   1/1/3 प्रेम सिह पुत्र भंवर सिंह
   1/1/4 कैलाश कंवर पुत्री भंवर सिंह
   1/1/5 छगनकंवर पुत्री भंवर सिंह
   1/1/6 इन्दरसिंह पुत्र भंवर सिंह
   सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम कायड तहसील व जिला अजमेर ।
2. पीरू सिंह पुत्र गणपत सिंह (फौत)
   2/1 मु.भूला कंवर बेवा पीरू सिंह
   2/2 पदम सिंह पुत्र पीरू सिंह
   2/3 राजेन्द्र सिंह पुत्र पीरू सिंह
   2/4 मु. सज्जन कंवर पुत्री पीरू सिंह
3. छतर सिंह उर्फ चतर सिंह (फौत)
   3/1 महेन्द्र सिंह पुत्र छतर सिंह उर्फ चतर सिंह
   3/2 सुरेन्द्र सिंह पुत्र छतर सिंह उर्फ चतर सिंह
   3/3 धापू कंवर बेवा छतर सिंह उर्फ चतर सिंह
   3/4 दरिवाव कंवर पुत्री छतर सिंह उर्फ चतर सिंह
   3/5 अन्नू कंवर पुत्री छतर सिंह उर्फ चतर सिंह
4. गंगा सिंह पुत्र गणपत सिंह (फौत)
   4/1सूरज कंवर पत्नि गंगा सिंह
   4/2किशोर कंवर पुत्री गंगा सिंह
   4/3हिम्मत सिंह पुत्र गंगा सिंह
   4/4 नीतू कंवर पुत्री गंगा सिंह
   4/5 पुष्पाकंवर पुत्री गंगा सिंह
   4/6 किरण कंवर पुत्री गंगा सिंह
   4/7 दिनेश सिंह पुत्र गंगा सिंह
5. गोपाल सिंह पुत्र गणपत सिंह
6. हनुमान सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कायड़ तहसील तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. शौभाग सिंह पुत्र छोटू सिंह (फौत)
   1/1 स्वरूप सिंह पुत्र शौभाग सिंह
   1/2 श्रीती रामकंवर पत्नि रघुनाथ पुत्री शौभाग सिंह
   1/3 श्रीमती शैल कंवर पत्नि नारायण सिंह पुत्र शौभाग सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम कायड़ तहसील व जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी,अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2008, वाद संख्या 110/1993

उपस्थितः–

1. श्री शिव प्रकाश चौधरी एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्र सेठी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3 .

निर्णय

दिनांकः– 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2008, वाद संख्या 110/1993 के विरूद्ध प्राप्त हुई है।
2. अपील संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कायड़ के चौसाला जमाबंदी के खसरा नम्बर 499 रकबा 1–00–00, खसरा नम्बर 500 रकबा 7–00–00 के हाल खसरा नम्बर 527, 528 जो अपीलांट के पति/पिता गणपत सिंह के पिता बींजू सिंह तन्हा खातेदारी है। विरासत के आधार पर वादीगण शामलाती तौर पर काश्त करते चले आ रहे है इसमें किसी अन्य को कोई हक, हिस्सा नही है किन्तु वर्किग जमाबंदी में गलत तौर पर उक्त खसरा नम्बर को रेस्पोडेन्ट के खाते में बिना किसी आधार के दर्ज कर दी गई जबकि रेस्पोडेन्ट का उक्त खसरा नम्बर 527, 528 की भूमि से कोई सम्बन्ध व कब्जा नही हैं इसी प्रकार खसरा नम्बर 505 रकबा 2–02–00, 513 रकबा 0–12–00, 514 रकबा 0–19–00, 515 रकबा 00–16–00, 516 रकबा 2–19–00, 518 रकबा 01–01–00, 510 रकबा 01–18–00, 518 रकबा 0–05–00 के वर्किग जमाबंदी के नये खसरा नम्बर 533 रकबा 02–02–00, 541 रकबा 0–12–00, 542 रकबाा 0–13–00, 543 रकबा 0–06–00, 543 रकबा 0–07–00, 544 रकबा 0–09–00, 545 रकबा 02–17–00, 547 रकबा 01–01–00, 549 रकबा 01–18–00, 588 रकबा 0–05–00 कायम किये गये है। उपरोक्त भूमि चौसाला जमाबंदी के अनुसार किशन सिंह वल्द भूरसिंह 1/3 हिस्सा एवं बीजू सिंह बल्द देवी सिंह व शौभाग सिंह पुत्र छोटू सिंह हिस्सा 2/3 हिस्सा अनुसार दर्ज थी किन्तु गत खसरा नंबरान के नये खसरा नम्बरान जो उपरोक्त वर्किग जमाबंदी मे अकेले रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हो गई है जबकि अपीलांट का उपरोक्त भूमि में 1/3 भाग है वे इसी अनुसार काबिज चले आ रहे है व प्रतिवादीगण को इन्द्राज दुरूस्ती कराने बाबत् निवेदन करने पर विपक्षी इन्कार हो गये व आराजी मुतनाजा को मुन्तकिल करने पर आमादा है, अतः वादीगण/अपीलांट को खसरा नम्बर 527 रकबा 1 बीघा व 528 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के सम्पूर्ण भाग का व वाद पत्र के पैरा नम्बर 02 में वर्णित आराजीयात में वादीगण को 1/3 भाग का खातेदार घोषित किये जाने और विपक्षी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने व बंटवारा कराये जाने बाबत् निवेदन किया। वाद का नोटिस प्रतिवादीगण पर तामील होने पर प्रतिवादीगण ने दावें के तथ्यों से इन्कार किया व आराजी मुतनाजा को अपनी खातेदारी होना बताते हुए पूर्व में गणपतसिंह का नाम गलत दर्ज होना बताया व वाद के पैरा नम्बर 02 में वर्णित आराजी में किशन सिंह का 1/3 हिस्सा होने के कारण आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उसे पक्षकार न बनाने के कारण वाद निरस्त करने की प्रार्थना पत्र की।

परीक्षण न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर वाद में 7 तनकीयात कायम की व गैर कानूनी तौर पर तनकी नम्बर 01 स 05 का निर्णय वादी के विरूद्ध करते हुए वादी का वाद निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2008 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 3 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट ही काबिज काश्त है विपक्षी किसी प्रकार से उनका कब्जा व हक 40 साल से आराजी मुतनाजा पर होना साबित नही कर पाये है इसके बावजूद भी गैर कानूनी तौर पर अपीलांट/वादीगण का वाद निरस्त किया गया है। वाद में किशन सिंह व राजस्थान सरकार को पक्षकार न बनाये जाने के कारण दावा चलने योग्य न होना मानते हुए वाद निरस्त करने में भारी भूल की है जबकि आदेश 01 नियम 10(2) जा.दी. के प्रावधानो के अनुसार न्यायालय को किसी भी आवश्यक पक्षकार को अपन स्थर पर पक्षकार बनाने का पूर्ण अधिकार है व मिसजोइन्डर पार्टी के आधार पर वाद को निरस्त नहीं किया जा सकता है। शौभाग सिंह आराजी मुतनाजा का किसी भी प्रकार से खातेदार साबित नही है व वादीगण शौभाग सिंह के पक्ष में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राजों को दुरूस्त करवाने का पूर्ण अधिकार है। अपीलांट अनपढ़ किसान होकर अजमेर जिले में बारिस अच्छी नहीं होने के कारण अपने गुजर–बसर हेतु अजमेर से बाहर मजदूरी करने गया था, जिसके कारण वाद में निर्णय होने की सूचना प्रार्थीगण/अपीलांट को उनक अभिभाषक द्वारा दिये जाने के बावजूद भी नही हो सकी है क्योंकि प्रार्थीगण/अपीलांट मजदूरी के सिलसिले में गॉव से बाहर ही रहते है ऐसी स्थिति अपील प्रस्तुती में हुई देरी को उपरोक्त सद्भाविक कारण के आधार पर क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील को मेरीट पर निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान करावें एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2008 को निरस्त किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जवाब अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 527, 528 चाह का एक मात्र खातेदार है एवं उसके पिता छोटू सिंह उस पर काबिज थे उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी काबिज है तथा पिछले 40 सालों से प्रतिवादी ही काबिज है वाद का कब्जा इस विवादग्रस्त खसरा नम्बरान पर नहीं रहा है एवं न कभी प्रतिवादी ने इस चाह पर कब्जा करने दिया ऐसी स्थिति में यदि वादी के पूर्वज इस विवादग्रस्त खसरा नम्बरान के खातेदार भी रहे हो तो स्वर्गीय गणपतसहि व बिजू सिह तथा वादीगण का पिछले 50 साल से काबिज नहीं होने से उनके सारे अधिकार समाप्त हो गये एवं वादीगण उपरोक्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के अधिकारी नही है उसका कब्जा वादीगण के विरूद्ध मुखालफत हो चुका है कब्जे के अभाव में वादीगण घोषण खातेदार हासिल करने के अधिकारी नही है एवं अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र में मियाद बाहर के कारण बताये गये जो संतोषजनक नहीं है इसलिए भी अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

5. सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक उभयपक्ष की गई बहस पर मनन किया गया। बाद मनन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कारण संतोषजनक एवं उचित

प्रतीत होते है। हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण/अपीलांटस का कथन रहा है कि नये खसरा नंबरान 527 व 528 रकबा क्रमशः 1 बीघा एवं 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी संपूर्ण का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे तथा वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजियात में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 527 रकबा 1 बीघा एवं खसरा नंबर 528 रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी/रेस्पो0 दर्ज है । यदि पूर्व जमांबदी में गणपतसिंह के पिता बीजूसिंह का नाम दर्ज था तो वह गलत था क्योंकि यह भूमियां प्रतिवादी के पिता छोटूसिंह की थी । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण ने वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजियात में 1/3 हिस्से का खातेदार किशनसिंह वल्द भूरसिंह को होने का कथन किया है किन्तु किशनसिंह को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है जिसके अभाव में भी वादीगण का वाद संधारण योग्य नहीं था । दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया साबित है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 527 व 5287 का एकमात्र काबिज खातेदार प्रतिवादी के पिता छोटूसिंह थे तथा उनकी मृत्यु उपरांत प्रतिवादीगण/रेस्पो0 विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित करते हुए वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है। वादीगण/अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वादपत्र को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् पाया जाता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस निरस्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

8 अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती हैं एवं विद्धान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2008 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. आदेश आज दिनाक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर